अपील सूचना अधिकार संख्या 109/2021(GCMS 2021/170) (आरटीआई नं. 212492067637876) श्री राधेश्याम गोयल जाति अग्रवाल, आयु 72 वर्ष, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 52 एफ/550740) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.07.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2021 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2021 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. महाराज गंगा सिंह द्वारा जे.सी.टी. मिल्स, पुरानी आबादी को दी गई भूमि का क्षेत्रफल, मुरब्बा नं., बीघा नम्बर, वह राशि जिस पर जमीन विक्रय की गयी व शर्तें जिस पर भूमि दी गई उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. वह उद्देश्य जिस पर जमीन विक्रय की गई।
3. सम्पूर्ण पत्रावली की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:30 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने भू.अ./2771 दिनांक 06.10.21 से लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, श्रीगंगानगर) को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना निम्न प्रकार से हैः

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	महाराज गंगा सिंह द्वारा जे. सी.टी. मिल्स, पुरानी आबादी को दी गई भूमि का क्षेत्रफल, मुरब्बा नं., बीघा नम्बर, वह राशि जिस पर जमीन विक्रय की गयी व शर्तें जिस पर भूमि दी गई उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।	जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्यालय से प्राप्त करें।
2	वह उद्देश्य जिस पर जमीन विक्रय की गई।	आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवाचक होने के कारण सूचना के अधिकार में सूचना दिया जाना संभव नहीं है।
3	सम्पूर्ण पत्रावली की सूचना व प्रमाणित प्रति।	कार्यालय समय में सम्बन्धित दस्तावेजों का अवलोकन कर निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्सलय

-sd-
तहसीलदार(भू.अ.)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:30 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार(भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार तहसीलदार (भू.अ.),** श्रीगांगनगर **द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार (भू.अ.),** श्रीगांगनगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा **लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:30 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर